



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 1433 / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल / अका-1 / 2023-24

क्र.

// आदेश //

दिनांक 15/6/23

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 183 वीं सभा की बैठक दिनांक 30/05/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई सेम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइसेंस एंड हॉस्पिटल (तालिका - 'अ') में अंकित पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में सीट संख्या में वृद्धि एवं नवीन पाठ्यक्रमों को, शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संचालन करने एवं (तालिका - 'ब') में अंकित इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम में सीट संख्या में वृद्धि एवं नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

तालिका - 'अ'

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	अध्यादेश क्रमांक	वर्तमान में स्वीकृत सीटों की संख्या	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र	संबंधित काउंसिल का आदेश क्रमांक/दिनांक
1-	Master of Physiotherapy (Sports)	58	05	10	2021-22	क्रमांक ए21पी0222/3692/2022 दिनांक 01.12.2022
	Master of Physiotherapy (Ortho)	58	05	10		
	Master of Physiotherapy (Neuro)	58	05	10		
	Master of Physiotherapy (Cardio)	58	05	10		
	Master of Physiotherapy (Obst & Gynaec)	58	05	10		
2-	BPT (Bachelor of Physiotherapy)	54	50	100		
3	DMLT (Medical Lab tech.)	53	50	150		
4	Bachelor Human Nutrition	64	0	50		
5	Bachelor of X-Ray Radiograoher Tech.	64	0	50		
6	M.M.L.T(Hematology)	64	0	10		
	M.M.L.T (Microbiology)	64	0	10		
	M.M.L.T (Biochemistry)	64	0	10		
	M.M.L.T (Histopathology)	64	0	10		

तालिका - 'ब'

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में संचालित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट संख्या	कुल सीट संख्या	सत्र
1.	B.Tech. (Computer Science Engineering)	60	60	120	2022-23
2.	B.Tech. (EX)	0	60	60	2022-23
3.	M.Tech. (Computer Scie. Engineering )	0	30	30	2022-23
4.	Master in Computer Application (MCA)	0	180	180	2022-23


शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापपदों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापपदों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिपटी की गाईडलाईन के अनुसार किए जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रकाशन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से प्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य वैश्वीय प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संघारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

  
 (डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)  
 सदस्य अकादमिक  
 म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल  
 दिनांक /06/2023

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24  
 प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रमारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमारी शुल्क नियन्त्रण प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

/  
 सदस्य अकादमिक  
 म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल